



भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

दूसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771--2282530/2285590/95 [मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com](mailto:ro.raipur.ibm@gmail.com)

No- CHG/DNT/FE-2/NGP

दिनांक -23/3/2019

प्रेषिति- श्री ए.के.प्रजापति, खान एजेंट

बैलाडीला लौह आयस्क खान. डिपॉजिट-14NMZ

किरांदूल कॉम्प्लेक्स

जिला- साउथ बस्तर, दांतेवाड़ा (सी.जी.)-494556

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के दांतेवाड़ा जिले में स्थित आपकी डिपॉजिट-14NMZ लौह आयस्क खदान 506.742 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 06.02.2019 by undersigned accompanied by Shri Randhir Kumar, Mining Engineer & Shri Santosh Anand Padhye, AGM, Geologist.

Rule	Nature of Violation observed
45(5)	On scrutiny of annual return of mine it is noticed that DMF and NMET contribution is not included in the cost of production of Iron ore per tone and also in MR and AR it is mentioned dispatches for the grade but which was actually not dispatch i.e +65fe fines,. Needs to be rectified.

- 2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 45(7) के अंतर्गत
- (क) खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

- 1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
- 3 उप महानिदेशक (सांख्यिकी), पांचवा तल, ब्लाक डी इंदिरा भवन सिविल लाईन्स, नागपुर -440 001

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

